A-6/1

न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओ0पी0बिश्नोई आर0ए0एस0

विविध आवेदन पत्र संख्या 02/2014

प्राथीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.रूपाराम पुत्र उदाराम 2.रूगाराम पुत्र उदाराम 3.गोरखाराम पुत्र उदाराम 4.शेराराम पुत्र उदाराम 5.हेमाराम पुत्र बालाराम जति जाट निवासी खारिया तला(भाडखा)तहसील,बाड़मेर		1.हेमाराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी,भाडखा तहसील बाड़मेर 2.सरपंच ग्राम पंचायत भाडखा 3.ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव ग्राम पंचायत भाडखा तहसील,बाड़मेर 4.विकास अधिकारी पंचायत समिति, बायतु

अवमानना प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 2(ए)सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता।

उपस्थितः—1.श्री रेखाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2.श्री डालूराम गोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता अप्राथी संख्या 01 की ओर से।
3.अप्रार्थी संख्या 02 से 04 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 31.12.2015

1. ,संक्षेप में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रूपाराम पुत्र उदाराम वगैरा ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरारी पेश कर ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा अप्रार्थी संख्यार 01 हेमाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 26.01.2002 को निरस्त करने एंव पट्टा से सम्बन्धित भूमि की मौके एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने स्थगन आवेदन पत्र पेश किया। इस पर न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2014 द्वारा पट्टा से सम्बन्धित भूमि एंव रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। प्राथीगण का यह कथन है कि स्थगन आदेश पारित होने तथा आदेश की तामिल होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 ने निर्माण कार्य जारी रखा एवं उक्त विवादित भूमि पर आरा मशीन लगाकर अवैध रूप से संचालन कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 ने बिना विधिक हक के प्रार्थीगण के कब्जा सूदा आबादी भूमि पर द्वेषपूर्ण आशय से निर्माण कर आदेश दिनांक 21.03.2014 के आदेशो की अवहेलना की है। प्रार्थीगण ने अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

A 6/2

2. इस पर हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये।अप्रार्थी संख्या 03 ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। हमने दोनो पक्षों को अपनी अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। प्रार्थी रूपाराम एंव गोरखाराम ने मुख्य परीक्षा स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण को साक्ष्य हेतु पर्याप्त समय देने के उपरान्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई फलस्वरूप अप्रार्थीगण की साक्ष्य बंद की गयी।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का यह कथन है कि ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पटटा संख्या 27 दिनांक 26.01.2002 को खारिज करने हेतु पुनरीक्षण याचिका संख्या 3/14 पेश की। जिस पर माननीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यो व परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए उसी दिन मौके एंव रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया। मगर स्थगन आदेश पारित होने एंव आदेश की तामील होने के बावजूद जानूझकर अप्रार्थी संख्या 01 ने निर्माण कार्य जारी रखा और नया निर्माण करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने बिना विधिक हक के प्रार्थीगण के कब्जा सुदा आबादी भूमि पर व द्वेषपूर्ण आशय से निर्माण कार्य किया हैं। अप्रार्थीगण ने आदेशा की अवेहलना की है इसलिये अप्रार्थी संख्या 01 को अदालत श्री द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2014 की अवमानना का दोषी मानते कानूनी कार्यवाही की जाए।

4. अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थी हेमाराम को ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा जारी पट्टा की भूमि पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त होने पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया। पट्टा सुद भूमि पर पुराना एंव क्षतिग्रस्त दीवारों की रिपेयरिंग करवाई जो स्थगन आदेश प्राप्त होने के पूर्व की है। प्रार्थी ने स्थगन आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। अप्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत पट्टा जारी होने एंव नाम रेकर्ड में होने से उसने अपने अधिकारो के तहत भूमि स्थगन आदेश से पूर्व पुराने बने मकान पर मरम्मत का कार्य करवाया गया है, जिसके लिये वह किसी तरह से पाबंद नहीं था। उन्होने तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना में दर्शाये गये तथ्यो के समर्थन में कोई प्रमाणिक दस्तावेज पेश नही किया है और न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित करवाया है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी ने किसी प्रकार की अवमानना नहीं की है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:30 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया।,प[illegible] उपलब्ध रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण रूपाराम पुत्र [illegible] वगैरा ने अ[illegible] के विरूद्ध धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी पेश कर ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 हेमाराम के

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

A 6/3

पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 26.01.2002 को निरस्त करने एंव स्थगन आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया एंव प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 26.01.2002 से सम्बन्धित भूमि एंव रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। प्रार्थी का यह मुख्य कथन है कि स्थगन आदेश पारित होने एंव आदेश की तामील होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 ने निर्माण कार्य जारी रखा और नया निर्माण करवाया तथा अपने कथनों के समर्थन में फोटो प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 भी प्रस्तुत किये गये, जिससे स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ने स्थगन आदेश पारित करने के पश्चात नया निर्माण कार्य करवाकर जानबूझकर न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2014 की अवमानना की है।

6. अतः प्रार्थीगण का अवमानना प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को आदेश दिये जाते हैं कि न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 21.3.2014 के पश्चात् किया गया निर्माण कार्य 7 दिवस में हटा कर स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा की गई पालना बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत कर, न्यायालय को सूचित करें। पत्रावली इन्तजार पालना रिपोर्ट एक माह की अवधि में पेश हो।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 31.12.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:30 IST
Reason: SelfAttested